झारखण्ड सरकार
झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद

e-mail id: jceceboard@gmail.com
Website: http://jceceb.jharkhand.gov.in
Phone no.: 9264473893

विज्ञापन संख्या : जे॰सी॰ई॰सी॰ई॰बी॰/01/21– 34 ,राँची/दिनांकः 13/04/2022

सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी पद पर चयन के लिए Bridge Course Programme में नामांकन हेतु प्रतियोगिता परीक्षा–2022 आयोजित करने से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना

(Important Information Regarding Convening of Competitive Examination-2022 for Admission in Bridge Course Programme for Selection on the post of Community Health Officer)

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के नियंत्रणाधीन झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति, राँची द्वारा पर्षद को संसूचित किया गया है कि Bridge Course Programme के जनवरी से जुलाई–2021 सत्र हेतु विनिर्दिष्ट Health & Wellness Centre पर रिक्त 660 बैकलॉग पदों (अनारक्षित कोटि–194, आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग–65, अनुसूचित जनजाति कोटि–133, अनुसूचित जाति कोटि–169, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि–46 एवं पिछड़ा वर्ग कोटि–53) पर सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी नियुक्त किया जाना है। समिति द्वारा पदों की संख्या आवश्यकतानुसार घटायी या बढ़ायी जा सकती है। सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु सफल प्रतियोगियों के चयन के निमित्त झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, राँची द्वारा Online प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जायेगी। केवल परीक्षा में उत्तीर्णता के आधार पर नियुक्ति का दावा मान्य नहीं होगा। परीक्षा में सफल एवं चयनित अभ्यर्थियों को Community Health में छः माह का Bridge Course Programme करना है। अभ्यर्थियों द्वारा उक्त Course के सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त ही तत्समय उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी के पद पर संविदा के आधार पर एक वर्ष के लिए नियुक्त किये जायेंगे। उत्कृष्ट कार्य करने के आधार पर संविदा का नवीकरण का भी प्रावधान होगा।

झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या–417 राँची, गुरूवार, दिनांक 10.08.2021 में प्रकाशित कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार की अधिसूचना संख्या–11/क0च0अ0–02–04/2017(खण्ड) का0–3850, दिनांक–10.08.2021 के आलोक में–

"झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम इंटरमीडिएट या 10+2 कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त प्रतियोगिता परीक्षा में मात्र वैसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता विचारणीय होगी जो मैट्रिक या 10वीं कक्षा भी झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण हों तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति–रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा।"

उपरोक्त के साथ–साथ निम्न कंडिका–2, 3, 4, 5 एवं 6 में अंकित क्रमशः शैक्षणिक, आयु–सीमा, जाति आधारित आरक्षण (यदि लागू हो तो) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण (यदि लागू हो तो) एवं दिव्यांग जनों के लिए आरक्षण (यदि लागू हो तो) की योग्यता धारित करने वाले भारतीय नागरिकों से विहित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

2. **पदीय शैक्षणिक अर्हत्ता एवं वांछित अर्हत्ता :–**

Essential Eligibility Criteria:

i) General Nursing and Midwifery (GNM) RNRM from a recognized Institute/Bachelor of Science in Nursing from a recognized Institute/University.

OR

Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery (BAMS) from a recognized Institute/University.

ii) At least 2 years of relevant work experience in the Health sector.

iii) Candidate should have Permanent Registration from Indian Nursing or AYUSH Council/any State Nursing or AYUSH Council. Selected candidates should provide the Permanent Registration from Jharkhand State Nursing Council/Jharkhand State AYUSH Council/ other concerned Council before joining as Community Health Officer.

Desirable Criteria:

i) Proficiency in Regional/Local language and Dialect.

ii) Work experience in the Public Health System, preferably at the Primary/Community Health Center level.

3. **आयु–सीमा** :– आयु–सीमा की गणना दिनांक 01.04.2021 को आधार मानकर किया जायेगा। आवेदको के आयु का निर्धारण उनके मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में अंकित जन्म–तिथि से अनुमान्य होगा। विभिन्न कोटियों के आवेदकों के लिए निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम आयु–सीमा निम्नवत हैः–

क्रम सं0	कोटि	न्यूनतम आयु (वर्षों में)	अधिकतम आयु (वर्षों में)	दिव्यांग आवेदकों के लिए अधिकतम आयु (वर्षों में)
1	अनारक्षित / आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग	21	35	40
2	पिछड़ा वर्ग-I / पिछड़ा वर्ग -II	21	37	42
3	महिला (अनारक्षित / पिछड़ा वर्ग -I/ पिछड़ा वर्ग –II)	21	38	43
4	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)	21	40	45

4. **जाति आधारित आरक्षण** – आरक्षित सीटों पर दावा करने वाले अभ्यार्थियों को विहित प्रपत्र में सक्षम पदाधिकारी {झारखण्ड राज्य के अंचलाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी (असैनिक) या उपायुक्त} द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्य अधिकारी द्वारा निर्गत {झारखण्ड राज्य के अंचलाधिकारी या अनुमंडल पदाधिकारी (असैनिक) या उपायुक्त को छोड़कर} जाति प्रमाण–पत्र पर आरक्षण का दावा विचारणीय नहीं होगा तथा उनका आरक्षण का दावा रद्द कर दिया जाएगा। वैसे अभ्यर्थियों को अनारक्षित कोटि में मान्यता दी जायेगी।

अनुसूचित जनजाति कोटि के लिये निर्धारित सीटों में से न्यूनतम 2% सीटें आदिम जनजाति समूह के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित है, बशर्त्ते कि वे आवश्यक न्यूनतम अर्हत्ता को पूरा करते हों तथा अनुसूचित जनजाति कोटि की मेधा–सूची में स्वतः नहीं आते हों। यह आरक्षण अनुसूचित जनजाति कोटि के आरक्षण में क्षैतिज रूप से उपलब्ध होगा।

अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 2) के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, रॉची के पत्रांक–14 / जा0नि0–03–13 / 2015 / का0–1754 दिनांक–25.02.2019 के आलोक में "क्रीमी लेयर" अवधारणा के समावेश संबंधित प्रपत्र में ही जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक–7 / नीति (आरक्षण)–06 / 2001 का0–5886 दिनांक–21.09.2011) के आलोक में आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में उनके आरक्षित सीटों का विनियमन नहीं किया जायेगा।

जाति प्रमाण–पत्र के विहित प्रपत्र पर्षद के वेबसाइट पर डाउनलोड कॉलम में उपलब्ध है।

5. **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण**– कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, रॉची के ज्ञापांक–14 / आ0नि0–04–03 / 2019 का0–1433 दिनांक 15.02.2019 के आलोक में झारखण्ड राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों के वर्ग के अध्यधीन आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय

एवं संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त किया जा सकेगा। आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के सदस्य के रूप में अभ्यर्थी के दावे के प्रमाण स्वरूप विहित प्रपत्र में उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी/अपर जिला दण्डाधिकारी/अपर उपायुक्त/अपर समाहर्ता/अनुमण्डल दण्डाधिकारी/कार्यपालक दण्डाधिकारी/सहायक समाहर्ता/सहायक दण्डाधिकारी एवं अंचल अधिकारी में से किसी एक प्राधिकार द्वारा जारी आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र मान्य होगा।

आय एवं संपत्ति प्रमाण–पत्र का विहित प्रपत्र पर्षद के वेबसाइट पर डाउनलोड कॉलम में उपलब्ध है।

6. **<u>दिव्यांग जनों के लिए आरक्षण</u>** – निःशक्त व्यक्ति (दिव्यांग) अधिकार अधिनियम, 2016 (वर्ष 2016 का संख्यांक–49) की धारा–34(i) के तहत राज्य की सभी स्थापनाओं में नियुक्ति के मामले में संवर्ग बल के अधीन रिक्त पदों की कुल संख्या का 4 प्रतिशत पद दिव्यांग–जनों के लिए निम्नांकित रूप में आरक्षित किया जायेगा :–

<table>
<tr><th colspan="2">निःशक्तता का प्रवर्ग</th><th>आरक्षण प्रतिशत</th></tr>
<tr><td>(क)</td><td>अंधापन और कम दृष्टि</td><td>1</td></tr>
<tr><td>(ख)</td><td>बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता</td><td>1</td></tr>
<tr><td>(ग)</td><td>चलन निःशक्तता जिसमें सम्मिलित है सेरेब्रल पॉल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, आम्लीय आक्रांत से पीड़ित, मांसपेशीय दूर्विकास (Muscular dystrophy)</td><td>1</td></tr>
<tr><td>(घ)</td><td>स्वलीनता (Autism), बौद्धिक निःशक्तता, सीखने की विशेष अक्षमता एवं मानसिक रोगी, और, या</td><td rowspan="2">1</td></tr>
<tr><td>(ङ.)</td><td>बहु निःशक्तता (Multiple disabilities) जो (क) से (घ) के बीच में निःशक्तता के विभिन्न से स्थितियों के मिलने से हो, यह स्थिति अंधापन एवं बहरापन के मिलने से आ सकता है।</td></tr>
</table>

दिव्यांगता प्रमाण–पत्र का विहित प्रपत्र पर्षद के वेबसाइट पर डाउनलोड कॉलम में उपलब्ध है।

7. **<u>आवेदन पत्र की उपलब्धता</u>** – आवेदक पर्षद के वेबसाईट के **Homepage Page** पर **"Online Application Form for Admission in Bridge Course Programme – 2022 "** बटन पर Click कर, दिये गये दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए **दिनांक–15/04/2022 से दिनांक–04/05/2022 तक ऑनलाईन आवेदन पत्र भर सकते हैं।**

आवेदन पत्र भरते समय आवेदकों को झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम इंटरमीडिएट या 10+2 कक्षा का प्रवेश पत्र, अंक पत्र एवं उत्तीर्णता प्रमाण पत्र तथा विहित प्रपत्र में सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो), आय एवं सम्पति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) तथा चिकित्सा बोर्ड के सदस्यों द्वारा निर्गत एवं चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) भारित (Upload) करना अनिवार्य/आदेशात्मक (Mandatory) है अन्यथा उनके आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे तथा रद्द समझे जायेंगे।

8. **<u>फोटोग्राफ</u>** – ऑनलाईन आवेदन पत्र में हाल का खिंचाया हुआ रंगीन फोटोग्राफ, जिसमें चेहरे के साथ–साथ दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए, का ही scanned image, upload करना है। फोटोग्राफ संपादित (Edited) नहीं होना चाहिए अन्यथा आवेदन पत्र रद्द कर दिया जायेगा।

9. **<u>परीक्षा तिथि</u>** – उक्त परीक्षा राँची जिला मुख्यालय स्थित ऑनलाईन परीक्षा केन्द्र/केन्द्रों पर CBT मोड में आयोजित की जायेगी। आवेदकों को परीक्षा की तिथि तथा पर्षद के वेबसाईट से प्रवेश पत्र अधःभारित (Download)

करने की जानकारी बाद में उपलब्ध करायी जायेगी। अतः आवेदक पर्षद के वेबसाईट के सम्पर्क में लगातार बने रहें।

10. **<u>परीक्षा का स्तर एवं प्रकार</u>** –झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या–417 राँची, गुरूवार, दिनांक 10.08.2021 में प्रकाशित कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार की अधिसूचना संख्या–11/क0च0अ0–02–04/2017(खण्ड) का0–3850, दिनांक 10.08.2021 के आलोक में–

(क) पत्र–1–भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक मात्र अर्हक (Qualifying) होगा, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिन्दी एवं अंग्रजी भाषा ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना निर्धारित रहेगा। इस पत्र में प्राप्त अंक मेधा सूची निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जायेगा।

(ख) पत्र–2–चिन्हित क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा (उर्दू, संथाली, बंगला, मुण्डारी, हो, खड़िया, कुँडुख (उराँव) कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया एवं उड़िया) में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(ग) पत्र–3–तकनीकी/विशिष्ट योग्यता तथा सामान्य अध्ययन विषय की परीक्षाः–

(i) संबंधित पद की सेवा नियमावली में यथा विहित तकनीकी/विशिष्ट विषय एवं सामान्य अध्ययन की परीक्षा इस पत्र के अधीन ली जायेगी।

(ii) इस पत्र के अधीन बहुविकल्पीय उत्तर आधारित 150 (एक सौ पचास) प्रश्न निम्न प्रकार पूछे जायेंगे :–

(a)	तकनीकी/विशिष्ट विषय	–	100 प्रश्न
(b)	सामान्य अध्ययन	–	20 प्रश्न
(c)	सामान्य गणित	–	20 प्रश्न
(d)	सामान्य विज्ञान	–	10 प्रश्न

उक्त प्रतियोगिता परीक्षा दो पालियों में यथा प्रथम पाली जो एक घंटा 40 मिनट की होगी, में पत्र–1 एवं पत्र–2 की समेकित परीक्षा ली जायेगी तथा द्वितीय पाली जो दो घंटे 30 मिनट की होगी, में पत्र–3 की परीक्षा ली जायेगी।

एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प देने पर उसे अमान्य कर दिया जायेगा तथा इसकी गणना गलत उत्तर के अन्तर्गत की जायेगी।

उक्त प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम (Syllabus) पर्षद के वेबसाईट पर डाउनलोड कॉलम में उपलब्ध है।

11. **<u>मेधा–सूची</u>** – परीक्षा में उम्मीदवारों के प्राप्तांकों के आधार पर संयुक्त मेधा–सूची के साथ–साथ कोटिवार मेधा–सूची तैयार की जायेगी। उपरोक्त कंडिका –10 में वर्णित पत्र–2–चिन्हित क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा एवं पत्र–3–तकनीकी/विशिष्ट विषय में प्राप्त अंकों को जोड़कर समेकित अंकों के आधार पर के आलोक में मेधा सूची का निर्धारण किया जायेगा। दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान होने की स्थिति में मेधा–सूची का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। यह भी स्थिति समान होने पर उनके स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता परीक्षा, General Nursing and Midwifery या Bachelor of Science in Nursing या Bachelor of

Ayurvedic Medicine and Surgery (BAMS) में प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर उम्मीदवार को मेधा–सूची में वरीयता दी जायेगी।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड द्वारा निर्गत संकल्प संख्या–417 दिनांक– 10.08.2021 के आलोक में उक्त परीक्षा में चयन हेतु कोटि–वार न्यूनतम अर्हतांक निम्नवत निर्धारित किया गया है:–

अनारक्षित कोटि/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	40 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग–II कोटि	36.5 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग–I कोटि	34 प्रतिशत
अनुसूचित जाति कोटि/अनुसूचित जनजाति कोटि /सभी कोटि की महिला	32 प्रतिशत
आदिम जनजाति समूह	30 प्रतिशत

12. **अन्य आवश्यक सूचनाएँ**– इस संबंध में यदि किसी आवेदक को विशेष जानकारी की आवश्यकता हो तो झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति, नामकुम, राँची के कार्यालय/अधिकृत बेवसाइट **http://jrhms.jharkhand.gov.in** से प्राप्त की जा सकती है।

परीक्षा नियंत्रक के आदेश से,

13/04/2022

(रंजीता हेम्ब्रम, झा०प्र०से०)

उप परीक्षा नियंत्रक